न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)
राजस्व लोक अदालत–न्याय आपके द्वार 2018

पीठासीन अधिकारीः–राजलक्ष्मी गहलोत, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–88/2016 वाद पत्र

उनवान

1. किशनलाल आत्मज बरदा गुर्जर निवासी गलवा तहसील रायपुर
2. लादूलाल आत्मज बरदा गुर्जर निवासी गलवा तहसील रायपुर
3. धापू बेवा बरदा गुर्जर निवासी गलवा तहसील रायपुर
4. रोशन आत्मज राजू गुर्जर निवासी गलवा तहसील रायपुर
5. किशन आत्मज राजू गुर्जर निवासी गलवा तहसील रायपुर
6. नारायण आत्मज कालू गुर्जर निवासी गलवा तहसील रायपुर
7. उदा आत्मज कालू गुर्जर निवासी गलवा तहसील रायपुर
8. छीतर आत्मज पोखर गुर्जर निवासी गलवा तहसील रायपुर
9. मांगू आत्मज पोखर गुर्जर निवासी गलवा तहसील रायपुर
10. जमनी बेवा प्रताप गुर्जर निवासी गलवा तहसील रायपुर
11. केला आत्मज सोला गुर्जर निवासी गलवा तहसील रायपुर
12. गोपी आत्मज सोला गुर्जर निवासी गलवा तहसील रायपुर

वादीगण

बनाम

1. महेन्द्र आत्मज पन्ना गुर्जर निवासी गलवा तहसील रायपुर
2. रेखा पुत्री राजू गुर्जर निवासी गलवा तहसील रायपुर
3. सन्तोकी बेवा राजू गुर्जर निवासी गलवा तहसील रायपुर
4. बालू आत्मज चतरा गुर्जर निवासी गलवा तहसील रायपुर
5. लहरी पुत्री पोखर गुर्जर निवासी गलवा तहसील रायपुर
6. सोहनी पत्नि छीतर गुर्जर निवासी गलवा तहसील रायपुर
7. प्रेमी पुत्री प्रताप गुर्जर निवासी गलवा तहसील रायपुर
8. बडोदा राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा मोखुन्दा जरिये शाखा प्रबन्धक तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
9. कालू आत्मज धूला भील निवासी गलवा तहसील रायपुर
10. नेनू आत्मज चेना भील निवासी गलवा तहसील रायपुर
11. भैरू आत्मज दल्ला भील निवासी गलवा तहसील रायपुर
12. मोडा आत्मज रत्ता भील निवासी गलवा तहसील रायपुर
13. नाथू आत्मज मोती भील निवासी गलवा तहसील रायपुर
14. उदयराम आत्मज भेरू भील निवासी गलवा तहसील रायपुर
15. शिवलाल आत्मज भूरा भील निवासी गलवा तहसील रायपुर
16. नारायण आत्मज हकू भील निवासी गलवा तहसील रायपुर
17. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित

1. पर्वत सिंह चुण्डावत **अधिवक्ता वादीगण**

निर्णय

दिनांक 13.06.2018

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार/केम्प कोर्ट गलवा मे पेश हुई। प्रकरण का सक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम गलवा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी मे वादी संख्या एक लगायत तीन के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे की अन्य आराजियात के साथ आराजी संख्या 540 रकबा 0.34 है0 स्थित है। जिसके चारों ओर थोहर की बाड एवं बडे बडे वृक्ष लगे हुए हैं। इस आराजी के पूर्वी तरफ पक्की सडक बनी हुयी हैं। ग्राम गलवा के बैरून हल्का आबादी में

वादीगण एवं प्रतिवादीगण एक लगायत आठ का शामलाती आराजी चाह संख्या 535 रकबा 0.06 है स्थित है। जिसमें वादीगण एक लगायत तीन का आधा हिस्सा निहित है, जिससे वादीगण अपने खेतों की सिचांई करते हैं। वादपत्र की कलम संख्या एक व दो में वर्णित आराजियात पर कलम संख्या एक व दो में अंकित अनुसार खातेदार होकर हिस्सेनुसार उपयोग उपभोग कर रहे हैं तथा फसल का लाभ ले रहे हैं। प्रतिवादी संख्या नौ लगायत सोलह का उक्त आराजियात में कोई हक अधिकार या कब्जा नहीं है फिर भी उक्त प्रतिवादीगण आये दिन वादीगण की कृषि आराजियात में दखलंदाजी करते रहते हैं। कभी कुंए की छूंट में छडिया डाल देते हैं, कभी गन्दगी और पत्थर डाल देते हैं, आये दिन परेशान करते हैं। वादीगण एक लगायत तीन के खातेदारी अधिकार की आराजी संख्या 540 की पूर्वी तरफ सडक बनी हुई है जो प्रतिवादीगण नौ लगायत सोलह की आराजियात में होकर निकली है। सडक के परिचमी ओर वादीगण एक लगायत तीन की आराजी पर बडे बडे वृक्ष खडे हैं जो वादी संख्या एक लगायत तीन ने लगाये हैं। प्रतिवादीगण नौ लगायत सोलह इस आराजी में भी दखलेंदाजी करने की कोशिश करते हैं। सीमा का विवाद डालते हैं जबकि उनको ऐसा करने का कोई हल नहीं है। पहले भी सन् 2010 में इन लोगों ने कहा कि हमारी सीमा सडक के उस पार भी है, तब वादीगण ने पत्थरगढी के लिए प्रार्थनापत्र पेश किया और 13.05.2011 को जब भू निरीक्षक मौके पर पत्थरगढी करने आये तो प्रतिवादी संख्या नौ लगायत सोलह लडाई झगडा करने पर आमादा हो गये जिससे पत्थरगढी नहीं की जा सकी। प्रतिवादीगण नौ लगायत सोलह पत्थरगढी भी नहीं करने देना चाहते हैं और किसी तरह से संतुष्ट नहीं होना चाहते हैं। केवल मात्र वादीगण और प्रतिवादीगण एक लगायत सात को जलील व परेशान करने की गरज से लाठी के बल पर और अनुसूचित जनजाति के होने का भय दिखा कर शान्तिपूर्वक खेती नहीं करने देना चाहते हैं। लाठी के बल पर वादीगण व प्रतिवादी संख्या एक लगायत सात दीगर प्रतिवादीगण का मुकाबला नहीं कर सकते हैं जिससे उनके विरूद्ध यह स्थायी निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत करना पड रहा है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या एक लगायत सात वादग्रस्त भूमि के खातेदार कृषक हैं और उन्हें अपनी भूमि का शान्तिपूर्वक उपयोग उपभोग करने का अधिकार है लेकिन प्रतिवादीगण नौ लगायत सोलह बिना किसी विधिक अधिकार के उनके शान्तिपूर्वक भू उपयोग में व्यवधान उत्पन्न करते है इसलिये उनके विरूद्ध वादीगण स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी हैं। प्रतिवादीगण नौ लगायत सोलह बराबर धमकीयां दे रहे हैं कि पत्थरगढी नहीं करने देंगें। कुएं की छूट पर निर्माण कार्य करेंगें व खेतें में आने जाने नहीं देगें। आडी दीवार खडी कर देगें। इसलिए दौराने सुनवायी वाद प्रतिवादीगण नौ लगायत सोलह उक्त दोनों आराजियात के किसी अंश पर नाजायज कब्जा कर लेवे तो पुनः वादीगण व प्रतिवादी संख्या एक लगायत सात को आदेशात्मक निषेधाज्ञा द्वारा कब्जा सुपुर्द कराया जावें। प्रतिवादी संख्या एक लगायत सात भी वादपत्र से सहमत है लेकिन उनके यहां नहीं होने से उन्हें तरतीबी पक्षकार बनाया गया हैं। प्रतिवादीगण संख्या नौ लगयात सोलह बिना किसी अधिकार के वादीगण के कब्जे काश्त में दखलंदाजी करते है इसलिए उन्हें पक्षकार बनाया गया है। प्रतिवादी बैंक का राजस्व रेकार्ड में दाखिला होने से उन्हें पक्षकार बनाया गया है, जिसके विरूद्ध कोई दाद नहीं चाही गयी है। दिनांक 07.07.2016 को प्रतिवादी संख्या नौ लगायत सोलह द्वारा भूमि पर नाजायज कब्जा करने की धमकी देने, पत्थरगढी नहीं करने देने की धमकी देने से उत्पन्न होकर निरंतर जारी है।

प्रस्तुत वाद पत्र के आधार पर प्रकरण दिनांक 12.08.2016 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना मे प्रतिवादी संख्या 01 से 16 बावजूद सूचना के उपस्थित नही होने से इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई। राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2018 में भी नोटिस जारी किये गए लेकिन प्रतिवादीगण उपस्थित नही है। वादीया संख्या 03 उपस्थित है जिनके बयान लिये जाकर शामिल पत्रावली किये गए।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया तथा एक तरफा बहस सुनी गयी तथा बहस पर मनन किया गया। ग्राम गलवा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी मे स्थित आराजी संख्या 540 व आ0 चा0 535 के उपयोग उपभोग मे प्रतिवादीगण संख्या 09 लगायत 16 कोई दखलदांजी नही करें, कोई निर्माण नही करे नाजायज कब्जा नही करने की स्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादी सख्या 09 लगायत 16 के जारी किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

8. बडौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा मोखुन्दा जरिये शाखा प्रबंधक

9. कालू पिता धूला भील आयु बालिग निवासी गलवा तहसील रायपुर

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी अपने वाद पत्र को सिद्ध कराने मे सफल रहने के कारण वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझती हूँ। अतः

आदेश

ग्राम गलवा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी मे स्थित आराजी संख्या 540 व आ0 चा0 535 के उपयोग उपभोग मे प्रतिवादी 09 लगायत 16 कोई दखलदांजी नही करें, कोई निर्माण नही करे नाजायज कब्जा नही करने की स्थायी निषेधाज्ञा प्रतिवादी संख्या 09 लगायत 16 के विरूद्ध जारी की जाती है। तदुसार डिक्री जारी।

राजलक्ष्मी गहलोत
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 13.06.2018 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

मूल वाद मे डिक्री
(आदेश 20 रूल्य 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः–राजलक्ष्मी गहलोत, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–88 / 2016 वाद पत्र

उनवान

1. किशनलाल आत्मज बरदा गुर्जर निवासी गलवा तहसील रायपुर
2. लादूलाल आत्मज बरदा गुर्जर निवासी गलवा तहसील रायपुर
3. धापू बेवा बरदा गुर्जर निवासी गलवा तहसील रायपुर
4. रोशन आत्मज राजू गुर्जर निवासी गलवा तहसील रायपुर
5. किशन आत्मज राजू गुर्जर निवासी गलवा तहसील रायपुर
6. नारायण आत्मज कालू गुर्जर निवासी गलवा तहसील रायपुर
7. उदा आत्मज कालू गुर्जर निवासी गलवा तहसील रायपुर
8. छीतर आत्मज पोखर गुर्जर निवासी गलवा तहसील रायपुर
9. मांगू आत्मज पोखर गुर्जर निवासी गलवा तहसील रायपुर
10. जमनी बेवा प्रताप गुर्जर निवासी गलवा तहसील रायपुर
11. केला आत्मज सोला गुर्जर निवासी गलवा तहसील रायपुर
12. गोपी आत्मज सोला गुर्जर निवासी गलवा तहसील रायपुर

वादीगण

बनाम

1. महेन्द्र आत्मज पन्ना गुर्जर निवासी गलवा तहसील रायपुर
2. रेखा पुत्री राजू गुर्जर निवासी गलवा तहसील रायपुर
3. सन्तोकी बेवा राजू गुर्जर निवासी गलवा तहसील रायपुर
4. बालू आत्मज चतरा गुर्जर निवासी गलवा तहसील रायपुर
5. लहरी पुत्री पोखर गुर्जर निवासी गलवा तहसील रायपुर
6. सोहनी पत्नि छीतर गुर्जर निवासी गलवा तहसील रायपुर
7. प्रेमी पुत्री प्रताप गुर्जर निवासी गलवा तहसील रायपुर
8. बडोदा राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा मोखुन्दा जरिये शाखा प्रबन्धक तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
9. कालू आत्मज धूला भील निवासी गलवा तहसील रायपुर
10. नेनू आत्मज चेना भील निवासी गलवा तहसील रायपुर
11. भैरू आत्मज दल्ला भील निवासी गलवा तहसील रायपुर
12. मोडा आत्मज रत्ता भील निवासी गलवा तहसील रायपुर
13. नाथू आत्मज मोती भील निवासी गलवा तहसील रायपुर
14. उदयराम आत्मज भेरू भील निवासी गलवा तहसील रायपुर
15. शिवलाल आत्मज भूरा भील निवासी गलवा तहसील रायपुर
16. नारायण आत्मज हकू भील निवासी गलवा तहसील रायपुर
17. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा वास्त इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी वाद वादी स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार रायपुर को आदेशित किया जाता है कि ग्राम गलवा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी मे स्थित आराजी संख्या 540 व आ0 चा0 535 के उपयोग उपभोग मे प्रतिवादी 09 लगायत 16 कोई दखलदांजी नही करें, कोई निर्माण नही करे नाजायज कब्जा नही करने की स्थायी निषेधाज्ञा प्रतिवादी संख्या 09 लगायत 16 के विरूद्ध जारी की जाती है।

यह आज तारीख 13 / 06 / 2018 को मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मोहर से जारी की गई।

राजलक्ष्मी गहलोत
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

... निवासी गलवा तहसील रायपुर

8. बडौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा मोखुन्दा जरिये शाखा प्रबंधक